

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/05 फावली पेस हुई। वकील उल्हास
कान्हाल से-2 का जवाब देना नहीं
है। केके केवळ डिमेंट जा चुके हैं। जवाब
बंद किया जा रहा है। चार्ले ब्रह्म डि. 20/5
को पेस हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

20/5
पत्रावाले पेस हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थान/P.O. साठ राज्य कार्य से खस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत
आदेश की पालना में दिनांक 10/3/24
को पेस हो।

उपखण्ड अधिकारी

19/05 फावली पेस हुई। वकील उल्हास
जामिना पर कान्हाल निषेधाज्ञा पर उल्हास
वकील ब्रह्म टुली। चार्ले कोडेस डि. 12/5
को पेस हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

12/5 फावली पेस हुई। वकील उल्हास
जामिना पर कान्हाल निषेधाज्ञा पर उल्हास
वकील ब्रह्म पर मैनन किया। जामिना पर
कान्हाल निषेधाज्ञा व फावली का अवलोकन
किया। मूलवाद तथा उद्घोषणा व कान्हाल निषेधाज्ञा
का है। जिसका प्रमाण दस्तावेजी दस्तावेज सबूतों
के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जा रहा है।
मूलवाद के विधिवत निस्तारण हेतु जामिनी
को वादग्रस्त करने को रहन-बस नहीं करने
एवं मौका व रिकार्ड की प्रमाणीयता बनाये

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

रखे जाने हेतु पाबंद किया जाना उचित
उसीत होता है। अतः उल्लापडा प्रकील बहस
पर मनन करने एवं पलावली के फललोकन
के फायदा पर कृपाप्रगिन को लामेसलामुनवाड
जल कसमान निषेधारा इस काश्मल से जाले-
बंशित किया जाय है कि वादग्रस्त कानि
खाल के नमा - 183 पुराना - 48 के फायदा
ख-ने 669 रकबा - 2.01 हेम्ट. वाले गाँव -
उनकडागाँव तह. बांदीकुर जिला होसा के
किसी डीगार संस्था काबले को विरुध. बहस
ना करे। सोका 8 बिकड की भूमालिती
बनाये रखे। पलावली जिललमुनार डकर
काड तकमिल हम जिला मुनवाड रहे।

अ. ६ -
अखण्ड अधिकारी
बांदीकुर 12.9.24